न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ वीणा प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 00032/2012/(2012/00032) जिला–भीलवाड़ा

नगर पालिका मण्डल गंगापुर जिला भीलवाड़ा जरिये अधिशाषी अधिकारी

———अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती वनिता पत्नि श्री सुरेशचन्द बाफणा जाति महाजन निवासी ग्राम सोनियाणा तहसील गंगापुर जिला भीलवाड़ा।
2. श्रीमती दाकुदेवी पत्नि श्री घेवरचन्द चौधरी निवासी ग्राम मुसालिया तह0 मारवाड़ जिला पाली।

———प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर दिनांक 03.05.10

———

उपस्थित– 1. श्री एम.एल. गुर्जर अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री योगेन्द्र सिंह अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः– 01-12-2021

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीगण ने एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 90(बी) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर के समक्ष प्रस्तुत कर ग्राम सहाड़ा (परिधि क्षेत्र गंगापुर) की आराजी खसरा नं0 5554, 5555, 5556, 5557, 5560, 5558, 5569, 5561, 5559, 7623/5568, 7624/5558 कुल किता 11 कुल रकबा 4.78 हैक्टेयर भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ परिवर्तन करने का निवेदन किया जिस पर प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर ने आदेश दिनांक 03.05.2010

Scanned with CamScanner

जारी कर निर्माण स्वीकृति जारी कर दी किन्तु प्रत्यर्थीगण द्वारा धारा 90(बी) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की शर्तो का उल्लंघन करने के कारण अपीलार्थी ने प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर ने आदेश दिनांक 03.05.2010 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया गया कि प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर द्वारा आदेश दिनांक 03.05.2010 जारी कर निर्माण स्वीकृति जारी की गई किन्तु प्रत्यर्थीगण द्वारा निर्माण स्वीकृति आदेश की शर्त सं0 5 का उल्लंघन किया जाकर प्राकृतिक पानी के नाले को अवरूद्ध किया जा रहा है एवं जिला कलक्टर द्वारा भी जिला स्तरीय सर्तकता समिति की बैठक दिनांक 30.07.2011 में भी प्राकृतिक पानी की निकासी अवस्द्ध किये जाने को गंभीरता से लिया जाकर निर्माण स्वीकृति की कार्यवाही को निरस्त करवाने के निर्देश उपरान्त प्रत्यर्थीगण को बार बार नोटिस जारी करने पर निर्माण स्वीकृति की शर्त सं0 5 की पालना नहीं किये जाने पर अंतिम बार दिनांक 30.01.2021 को नोटिस दिये जाने पर भी पालना नहीं की जा रही है। इस कारण न्यायलय के समक्ष धारा 90(बी) की कार्यवाही को निरस्त कराने हेतु अपील प्रस्तुत की गई जिसमे देरी सद्भाविक कारणो से होने से देरी को क्षमा किया जाकर गुणावगुण पर प्रकरण का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील काफी विलम्ब से बिना किसी ठोस व सक्षम आधार के प्रस्तुत की गई है, इस कारण से उपरोक्त अपील उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम के स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम के साथ ही मूल अपील को वर्तमान स्तर पर ही सव्यय खारिज किया जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों तथा रेस्पोन्डेन्ट अभिभाषक के जवाब पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

Scanned with CamScanner

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि प्रत्यर्थीगण ने एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 90(बी) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर के समक्ष ग्राम सहाड़ा (परिधि क्षेत्र गंगापुर) की आराजी खसरा नं0 5554 रकबा 0.66 हैक्टेयर, खसरा नं0 5555 रकबा 0.62 हैक्टेयर, खसरा नं0 5556 रकबा 0.56 हैक्टेयर, खसरा नं0 5557 रकबा 0.55 हैक्टेयर, खसरा नं0 5560 रकबा 0.54 हैक्टेयर, खसरा नं0 7624/5558 रकबा 0.57 हैक्टेयर, खसरा नं0 5569 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नं0 5561 रकबा 0.50 हैक्टेयर, खसरा नं0 5559 रकबा 0.53 हैक्टेयर, खसरा नं0 7623/5568 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नं0 7624/5558 रकबा 0.12 हैक्टेयर कुल किता 11 कुल रकबा 4.78 हैक्टेयर भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ परिवर्तन का प्रस्तुत किया था जिस पर प्राधिकृत अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर ने आदेश दिनांक 03.05.2010 जारी कर निर्माण स्वीकृति जारी कर दी। उक्त आदेश की शर्त सं0 5 का उल्लंघन किया जाकर प्राकृतिक पानी के नाले को अवरूद्ध किया जा रहा है एवं जिला कलक्टर द्वारा भी जिला स्तरीय सर्तकता समिति की बैठक दिनांक 30.07.2011 में भी प्राकृतिक पानी की निकासी अवस्द्ध किये जाने को गंभीरता से लिया जाकर निर्माण स्वीकृति की कार्यवाही को निरस्त करवाने के निर्देश उपरान्त प्रत्यर्थीगण को बार बार नोटिस जारी करने पर निर्माण स्वीकृति की शर्त सं0 5 की पालना नहीं किये जाने पर अंतिम बार दिनांक 30.01.2021 को नोटिस दिये जाने पर भी पालना नहीं की जा रही है जिससे धारा 90(बी) की कार्यवाही को निरस्त कराने व विवादित आदेश दिनांक दिनांक 03.05.2010 को निरस्त कराने हेतु अपील प्रस्तुत की गई हैं। अतः अपील को स्वीकार किया जाकर आक्षेपित आदेश दिनांक 03.05.2010 को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रत्यर्थीगण सं0 1 के विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस के जवाब में प्रस्तुत प्राथमिक आपित्त दिनांकित 30.1.2020 के कथनो को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा विवादित आराजीयात बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 90 बी(3) के तहत वादग्रस्त आराजी को समपर्ण करने हेतु प्रस्तुत किया जिस पर न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका द्वारा उक्त आवेदन की सुनवाई करते हुये आवेदन पत्र को स्वीकार करके धारा 90 बी(3) के तहत आदेश पारित किया गया हैं। न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका ने आदेश दिनांक 03.05.2010 के द्वारा प्रत्यर्थी के पक्ष में नियमन करने का आदेश प्रदान किया है। इस आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील माननीय न्यायालय में श्रवणार्थ योग्य नहीं है। उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत करनी चाहिये थी किन्तु नगरपालिका ने गलत रूप से उक्त अपील प्रस्तुत की हैं जो मेन्टनेबल योग्य नहीं होने से काबिल निरस्त योग्य है।

Scanned with CamScanner

अपने कथनो के समर्थन में प्रत्यर्थी अधिवक्ता द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर इनकी ओर ध्यान आकर्षित किया गया यथाः—
(1) 2014 आरआरटी पेज 1345,
(2) 2016 आरआरडी पेज 357,
(3)2009 आरबीजे पेज 279,
(4) 2012 आरआरटी (1) पेज 676
(5) 2009 (1) आरआरटी पेज 330

अतः प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील न्यायालय में संधारण योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा विवादित आराजीयात बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 90 बी(3) के तहत वादग्रस्त आराजी को समर्पण करने हेतु प्रस्तुत किया जिस पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन की सुनवाई करते हुये आवेदन पत्र को स्वीकार करके आदेश दिनांक 03.05.2010 के द्वारा प्रत्यर्थी के पक्ष में नियमन करने का आदेश प्रदान किया है। प्रत्यर्थी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति अनुसार आदेश दिनांक 03.05.2010 के विरूद्ध प्रकरण इस न्यायालय में क्षेत्राधिकार विहिन होने से श्रवण योग्य भी नहीं है।

प्रत्यर्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत तथ्यपरक समानता के कारण इस प्रकरण में यथावत चस्पा होते है जो प्रस्तुत नजीर 2014 आरआरटी पेज 1345 एवं 2016 आरआरडी पेज 357, 2012 आरआरटी (1) पेज 676 व 2009 (1) आरआटी पेज 330 से भी स्पष्ट होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील इस न्यायालय में पोषणीय नहीं होने से प्राथमिक आपत्ति को स्वीकार कर इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

Scanned with CamScanner